हिसा का हासिल

ससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि किसी एक घटना को आधार बना 🔫 कर एक समूचे समुदाय को निशाना बनाया जाए या उसके खिलाफ हिंसा की जाए। किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के बयालीस जवानों की मौत के बाद देश के कई हिस्सों से कश्मीरी पहचान वाले लोगों पर हमले की जैसी खबरें आई हैं, वे देश की लोकतांत्रिक साख के खिलाफ हैं। अफसोस यह है कि राजनीतिक और शासकीय स्तर पर अभी तक ऐसी ठोस पहलकदमी नहीं दिखी, जो किसी उकसावे में आकर कश्मीरियों के खिलाफ हिंसा या बहिष्कार करने में लगे लोगों को सख्त संदेश दे सके। शायद यही वजह है कि इस मसले पर दायर एक जनिहत याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और दस राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी करना पड़ा है। अदालत ने साफ लहजे में राज्यों के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सिचवों को कश्मीरी छात्रों पर किसी भी तरह का हमला करने, उन्हें धमकी देने या सामाजिक बहिष्कार करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

दुसरी ओर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और कश्मीरियों पर हमले को देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश बताते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हैरानी की बात यह है कि एक ओर हमारे देश को पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को भारत से अलग-थलग करने की बेजा कोशिशों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर अब महज एक घटना के बहाने देश के भीतर ही कुछ शरारती तत्त्व कश्मीरियों के खिलाफ अभियान चला कर ऐसी ही स्थिति पैदा करने में लगे हैं। क्या कश्मीरियों पर हमले की ऐसी हरकतें उन आतंकी समूहों की मदद नहीं करेंगी, जो पहले से ही कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश करने में लगे हैं? सही है कि पुलवामा में हुए हमले में एक आतंकी के होने की बात सामने आई है। लेकिन उसके लिए सभी कश्मीरियों को जिम्मेदार कैसे मान लिया जा सकता है?

इतनी बड़ी संख्या में जवानों की जान जाने से समूचा देश दुखी है और किसी की संवेदना पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मगर इस मसले का राजनीतिकरण करने की मंशा रखने वाले कुछ लोग पुलवामा हमले को कश्मीरी बनाम बाकी देश के रूप में प्रचारित करने में लगे हैं। दरअसल, इस मसले पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जरूरत राजनीतिक स्तर पर भी दखल देने की है, ताकि आम लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराया जा सके। सच यह है कि पुलवामा हमले के बाद जब देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरियों पर हमले हो रहे थे, तब जम्मू-कश्मीर में सेना में एक सौ ग्यारह पदों पर भर्ती प्रक्रिया में लगभग ढाई हजार कश्मीरी युवा शामिल हुए। क्या सेना में शामिल होने का जज्बा रखने वाले कश्मीरी यवाओं की देश के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाया जा सकता है ? कश्मीर में भ्रम के शिकार कुछ लोग आतंकी गतिविधियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थक हो सकते हैं, लेकिन वहां की ज्यादातर आबादी शांति से एक आम भारतीय के रूप में जीना चाहती है। वहां के लोग व्यवसाय करने कश्मीर से बाहर निकलते हैं या अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजते हैं तो इसके पीछे अपने देश पर उनका भरोसा ही सबसे बड़ा कारण होता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह भरोसा ही देश की एकता और अखंडता की सबसे बड़ी ताकत है। इसे बचाने के लिए सरकार को बिना किसी हिचक के कश्मीरी लोगों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।

क्रिकेट का लाकपाल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को औपचारिक रूप से पहला लोकपाल मिलने से यह उम्मीद जगी है कि खेल की इस सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण संस्था में अब विवादों का निपटारा जल्द और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा और छोटे-छोटे विवादों को लेकर बार-बार अदालतों के दरवाजे खटखटाने से मुक्ति भी मिलेगी। साथ ही, भ्रष्टाचार सहित तमाम प्रशासनिक और अन्य समस्याओं से निपटने का रास्ता बनेगा। बीसीसीआइ की गिनती दुनिया के अमीर बोर्डों में होती है और भारत में क्रिकेट जैसे सबसे लोकप्रिय खेल के आयोजन और कारोबार से जुड़े पक्षों का जिम्मा और अधिकार बीसीसीआइ का होता है। सभी राज्यों के किक्रेट बोर्ड भी बीसीसीआइ से संबद्ध है और उसी के कायदे-कानूनों के अनुरूप चलते हैं। ऐसे में बीसीसीआइ एक पारदर्शी संस्था के रूप में काम करे, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है और बिना लोकपाल संस्था के ऐसी पारदर्शिता असंभव है। कुछ साल पहले तक बीसीसीआइ जिस तरह से कुछ लोगों की जागीर बना हुआ था और बड़े उद्योगपितयों और राजनेताओं ने इस पर एक तरह से कब्जा कर लिया था, उससे यह भ्रष्टाचार और अराजकता के भंवर में फंस गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संस्था को सुधारने के लिए जो सख्ती दिखाई और कदम उठाए, उन्हीं कोशिशों का नतीजा आज बीसीसीआइ को लोकपाल मिलने के रूप में सामने आया है।

बीसीसीआइ के लिए लोकपाल की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। लोकपाल की नियुक्ति के बारे में साढ़े चार साल पहले बीसीसीआइ के तब के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने भी संकेत दिया था। इस लोकपाल का काम हितों के टकराव, अनुशासनहीनता, बोर्ड नियमों के उल्लंघन और कदाचार संबंधी शिकायतों को निपटाने का था। लेकिन तब से अब तक बोर्ड में लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ में सुधार के लिए लोढ़ा समिति बनाई। इस समिति ने जो ऐतिहासिक सिफारिशें दीं, वे बीसीसीआइ का कायपलट करने वाली मानी जा रही हैं। इन सिफारिशों को लागू कराने के लिए ही सर्वोच्च अदालत की निगरानी में कवायद चल रही है। इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने पर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय की अध्यक्षता में प्रशासकों की एक समिति का गठन किया है। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ के नए संविधान को मंजूरी भी दे दी थी। अब नए लोकपाल के सामने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी वह यह कि बीसीसीआइ के नए संविधान को पूरी तरह से लागू कराए।

बीसीसीआइ में लोकपाल की नियुक्ति प्रशासकों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। सिमित ने बीसीसीआइ में लोकपाल और एक आचार अधिकारी नियुक्त की जरूरत बताई थी। लेकिन हाल में खिलाड़ियों से संबंधित विवाद के निपटारे को लेकर प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष और एक सदस्य के बीच ही विवाद खडा हो गया और कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में इस शीर्ष संस्था के लिए लोकपाल की जरूरत साफ महसूस की गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि लोकपाल के अधिकार और उनकी भूमिका का दायरा क्या होगा, मगर जो संकेत मिल रहे हैं उनसे साफ है कि वित्तीय मामलों में अनियमितताओं से जुड़े मुद्दे भी लोकपाल के दायरे में होंगे। लोकपाल की नियुक्ति का मकसद बीसीसीआइ को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। लंबे समय से देश में भी भ्रष्टाचार गंभीर समस्या और मुद्दा बना हुआ है, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति आसान नहीं लग रही। देश को भले लोकपाल न मिला हो, लेकिन बीसीसीआइ से इसकी शुरुआत कर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा संदेश दिया है।

कल्पमधा

घृणा शैतान का काम है, क्षमा मनुष्य का धर्म है और प्रेम करना देवताओं का गुण है। -भर्तृहरि

चुनौतियों से जूझता बल

ब्रहमदीप अलूने

देश के भीतर भारतीय सेना जैसी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी सीआरपीएफ अत्याधुनिक हथियारों की कमी, सैन्य साजोसामान का अभाव, मूलभूत सुविधाओं की कमी और उच्च स्तर के सेवा लाभों से महरूम है। रणक्षेत्र में सेवा के दौरान और मारे जाने के बाद भी इन जांबाजों को सेना के सभी लाभ नहीं मिल पाते। यही नहीं, उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता।

र की आंतरिक सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने में सीआरपीएफ की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आतंकवाद विरोधी अभियान, चरमपंथ और नक्सलवाद से निपटना, मतदान के समय तनावग्रस्त इलाकों में बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था करना, भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, अतिविशिष्ट लोगों और स्थलों की सुरक्षा, पर्यावरण एवं जीवों का संरक्षण, युद्ध काल में आक्रमण से बचाव, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य जैसी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक सीआरपीएफ ने निभाया है। पिछले दशकों में इस बल ने अपने कौशल और दक्षता का परिचय देते हुए घरेलू मोर्च पर शत्रु को कड़ी चुनौती दी है। सीआरपीएफ भारतीय सेना के समान ही लेकिन देश के भीतर युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने के लिए जाना जाता है।

गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) देश में आंतरिक सहायता की स्थापना में राज्य और केंद्र सरकार का मददगार होता है। इसकी तैनाती किसी विशेष क्षेत्र या स्थान की समग्र सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करती है। 27 जुलाई, 1939 से अस्तित्व में आए सीआरपीएफ को भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा पहरुआ समझा जाता है जिससे सुकमा के घने जंगलों समेत पुरे रेड कॉरिडोर में नक्सली खौफ खाते हैं। इसके

जवान पूर्वोत्तर की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में पृथकतावादी संगठनों से मुकाबला करते हैं और उनके निशाने पर होते हैं। इनमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोकेट्रिक फंट्र ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जैसे आतंकी और अलगाववादी संगठन शामिल हैं। इन इलाकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक जटिलताओं और प्रतिकुल परिस्थितियों के बाद भी सीआरपीएफ के जांबाज इन संगठनों की उग्रवादी गतिविधियों पर विराम लगाते हैं। कश्मीर की आतंकी कार्रवाइयों का सामना करने में सीआरपीएफ की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्थरबाजों से

नित्य जुझते सीआरपीएफ के जांबाज कुख्यात लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल जेहाद-ए-इस्लामी, हिजबूल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, अल बदर, जमात उल मुजाहिदीन, अल कायदा, दुख्तरान-ए-मिल्लत और इंडियन मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के आमने-सामने होते हैं। इसके साथ ही पीपुल्स वार ग्रुप, एमसीसी और भाकपा-माओवादी जैसी अलगाववादी शक्तियों को देश के भीतर स्थापित होने से रोकने के लिए भी सीआरपीएफ मुस्तैदी से काम करता है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों, चुनाव, दंगे, सांप्रदायिक तनाव, आपदा से लेकर युद्ध जैसी परिस्थितियों में लगातार काम करने वाले सीआरपीएफ के जवानों को अल्प सचना पर और अक्सर बिना किसी पूर्व तैयारी के देश के किसी भी इलाके में भेज दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सिलयों से जानलेवा संघर्ष में अपनी जान गंवा देने का जोखिम, उत्तर-पूर्व के गहरे बियाबानों में अलगाववाद हो या दक्षिण कश्मीर में आतंकियों से सामना, सीआरपीएफ ने चनौतियों का लगातार सामना किया है और वह डटा भी हुआ है।

लेकिन विडंबना है कि देश के विभिन्न भागों में देश के दुश्मनों से जूझते हुए अपनी जान न्योछावर करने वाले इन सैनिकों को स्वतंत्र भारत के सात दशक बीत जाने के बाद भी व्यवस्थागत खामियों से लगातार जुझना पड रहा है। उन्हें दुश्मनों से निपटने के लिए रणभूमि प्रबंधन प्रणाली का ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन घातक हथियारों, उपकरणों, सुरक्षा के उच्च संसाधन से लैस नहीं किया जाता। इसका परिणाम इस संगठन के लिए

बहुत ही खतरनाक सबित हो रहा है और यही कारण है जिसकी वजह से देश के कई भागों में अक्सर सीआरपीएफ के जवान आतंकी हमलों के शिकार हो जाते हैं। हाल में पुलवामा में सीआरपीएफ के चवालीस जवानों का मारा जाना इसी खामी का परिणाम है।

कश्मीर जैसे असुरक्षित और आतंकवादियों के गढ़ को लेकर बेहद खतरनाक इलाके में एक साथ सीआरपीएफ के अठहत्तर वाहनों का काफिला जाने देने की अनुमति देना सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही का प्रतीक है। इस दौरान हाईवे की सामान्य आवाजाही को भी नहीं रोका गया था। सीआरपीएफ के काफिले से टकराने वाली एसयूवी में बैठा जैश का आत्मघाती आतंकी पहले से संदिग्ध था, लेकिन उसकी पहचान हमले से पहले किसी ने नहीं की। सुरक्षा को लेकर अलर्ट के बाद भी रोड सुरक्षा पार्टी ने संदिग्ध वाहन की जांच की होती तो इस खतरनाक हमले से सीआरपीएफ के जवानों को बचाया जा सकता था। जाहिर है, एक अतिसंवेदनशील मामले में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर भारी कोताही बरती गई।



देश के कई इलाकों में अलग-अलग परिस्थितियों में काम करने वाले इस अर्ध सैनिक बल के जवानों के बड़ी संख्या में मारे जाने का प्रमुख कारण बेहतर योजना का अभाव रहा है। भारतीय सेना से किसी भी मामले में कमतर न होने वाला यह अर्ध सैनिक बल सुविधाओं के लिए भी मोहताज है और उसे पुलिस जैसा ही समझा जाता है। यह भी बेहद आश्चर्यजनक है कि देश के इस सबसे बड़े अर्ध सैनिक बल का मुखिया किसी आइपीएस को बनाया जाता है जिसे युद्ध जैसी परिस्थितियों में काम करने का कोई अनुभव नहीं होता है। इनका कार्यकाल अमूमन एक या दो साल का होता है। इतने कम समय में सीआरपीएफ की रीति-नीति को समझना मृश्किल होता है और यही प्रमुख कारण रहा है कि दुश्मनों से सबसे ज्यादा

जुझने वाला यह संगठन व्यवस्थागत कमियों से भी बेहाल है, जिसकी कीमत इसके जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। देश के भीतर भारतीय सेना जैसी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी सीआरपीएफ अत्याधुनिक हथियारों की कमी, सैन्य साजोसामान का अभाव, मूलभूत सुविधाओं की कमी और उच्च स्तर के सेवा लाभों से महरूम है। रणक्षेत्र में सेवा के दौरान और मारे जाने के बाद भी इन जांबाजों को सेना के सभी लाभ नहीं मिल पाते। यही नहीं, उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देने की केंद्र की घोषणा अभी तक साकार रूप नहीं ले सकी है।

सीआरपीएफ की इस समय देश भर में लगभग दो सौ बयालीस बटालियन हैं जिनमें से दो सौ चार विशेष बटालियन, छह महिला बटालियन, पंद्रह आरएएफ बटालियन, दस कोबरा बटालियन, पांच सिग्नल बटालियन और एक विशेष ड्यूटी ग्रुप और एक पार्लियामेंट्री ग्रुप है। इसकी एक बटालियन में करीब एक

> हजार जवान होते हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर आए महानिदेशक के अलावा तीन-तीन अतिरिक्त महानिदेशक और सात इंस्पेक्टर जनरल हैं। सीमा पर तैनाती से लेकर देश के भीतर तमाम तरह के अभियानों में जुटे रहने के साथ संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी सीआरपीएफ के जवान शामिल होते हैं। सन 1959 में सीमा पर चीन को दबाने का साहस हो या कच्छ के रण में 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के महत्त्वाकांक्षी सैन्य अभियान से लोहा लेना, सीआरपीएफ के जवानों ने दिलेरी और हौसले से ही अभियान पूरा किया था। तेरह दिसंबर 2001 को संसद पर और पांच जुलाई 2005 को श्री रामजन्मभूमि अयोध्या पर आतंकी हमले को नाकाम करने का श्रेय भी सीआरपीएफ के जवानों को ही जाता है।

सीआरपीएफ सहित अन्य अर्ध सैनिक बलों की समस्याओं और उनकी भूमिका को देखते हुए अविलंब निर्णायक कदम उठाने और सुधारों की जरूरत है। केंद्र सरकार को देश में अर्ध सैनिक बलों के लिए भी डिफेंस सविर्सेज रेगुलेशन की तरह नियमावली बननी चाहिए और इनकी कार्यप्रणाली और सेवा नियमों में परिवर्तन करने चाहिए। यहां पर यह महत्त्वपूर्ण बदलाव भी होना चाहिए जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का प्रमुख या महानिदेशक उसी सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाए ऐसा होने पर सीआरपीएफ जैसे अत्यंत अति महत्त्वपूर्ण सरक्षा संगठन की व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं. साथ ही बल की जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप माकूल सुरक्षा और अन्य इंतजामात भी सुनिश्चित किए जा सकेंगे।

प्रेम न हाट बिकाय

निशा नाग

कुछ दिन पहले मेरी करीब तेईस साल की घरेलू सहायिका ने शिकायत, चिढ़ और क्रोध भरे लहजे में कहा- 'देखो जरा... अभी मुझसे ब्रेक-अप हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि इसने अपने वाट्सऐप पर दूसरी लड़की की फोटो लगा ली!' इस पर मेरा चौंकना लाजिमी था। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे मालुम कि वह उसकी दूसरी स्त्री मित्र ही है? कोई अन्य भी तो हो सकती है! मेरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा-'वह ऐसा ही है। मुझे चिढ़ा रहा है!' मैंने कहा कि तुम तो कह रही थीं, तुम्हारा उससे अब कोई वास्ता नहीं! फिर तुम क्यों उसका नंबर सहेज कर बैठी हो और उसकी डीपी देख रही हो? वह भी जानता होगा कि तुम जरूर देखोगी। इस पर उसने लापरवाही से जवाब दिया कि तो क्या है! उसकी इस लापरवाही भरी अदा और लहजे में कहीं कुछ ऐसा था, जिसने मुझे चौंका दिया।

यों प्रेम के विषय में अक्सर एक जानी-मानी कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा जाता है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। प्रेम को परिभाषित करते हुए उदात्त प्रेम और वासना जैसी श्रेणियों की बात की जाती रही है और यह भी सच है कि यह भेद आज भी लौकिक

जगत में मौजूद है। तभी शायद कहीं एक-दुजे के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया जाता है तो दुसरी ओर प्रेम में धोखा भी दिया जाता है। इसमें जो प्रेम को लेकर गंभीर होता है, जब उसे अपने प्रेम पात्र के अन्य प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है तब ठगे जाने का एहसास होता है।

गुजरी सदी के आखिरी सालों में बाजार और व्यवसायीकरण ने बहुत कुछ बदला है। बदलते समाज के साथ प्रेम ने भी रूप बदला है। यह सही है कि प्रेम एक सहज प्रवृत्ति है जो सबको

दुनिया मेरे आगे अपने दायरे में समेटती है। यह एक सामान्य-सा सत्य है कि जो प्रेम दांपत्य की नींव है, वही प्रेम अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। कभी देश प्रेम के रूप में तो कभी साहित्य प्रेम के रूप में, कभी वात्सल्य तो कभी भाई-बहन का प्रेम। प्रेम का रूप समय-समय पर बदलता रहा है। मध्ययुग के 'भरे भौन में नयनों से बात करने वाले नायक-नायिका आधनिक यग तक आंखों ही आंखों में इशारा करते रहे हैं।

गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी 'उसने कहा था' में प्रेम एक कर्तव्य बन कर सामने आता है। शायद भारतीय समाज की संरचना इस तरह की रही है कि यहां प्रेम की उन्मुक्त अभिव्यक्ति उस तरह से संभव नहीं थी। यों वसंतोत्सव से लेकर मदनोत्सव तक का जिक्र

प्राचीन संस्कृति और ग्रंथों में मिलता रहा है। परंपरागत रूप से प्रेम में विश्वास, आदर, प्रतिबद्धता, मैत्री- सब एक-दूसरे की देखभाल में शामिल रहे हैं। लेकिन अब उस रोमांटिक प्रेम भावना, जिसके तहत किसी के प्रेम में पड़ कर खुद को पूरी तरह कुर्बान कर देने की हद तक जाया जा सकता था– से कहीं अधिक प्रेम वस्तृगत संरचनाओं से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। जातिगत और वर्गगत संरचनाएं सत्ता संबंध, उत्पादन संबंध और अर्थव्यवस्था इस पर हावी

होती जा रही हैं। प्रेम अब गणितीय समीकरण

बनने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया ने एक नए रूप में प्रेम का विस्फोट किया है, जहां बड़े-बड़े सितारे हैं, उनकी आलीशान व्ययभोगी शादियां हैं और उनको युवाओं के लिए प्रेरणा बनाया जा रहा है। यहां अब प्रेम उस तरह से दबा-ढंका नहीं। सघन प्रेम के लिए प्रेम और ऐंद्रिकता का एकात्म अनिवार्य माना जाने लगा है। अब खासतौर पर शहराती लोगों में अधिकतर प्रेम संबंध सुविधा के लिए हैं। शायद इन संबंधों में वह विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है जो प्रेम का मूल है। 'तेरा भी यह तौर है/ तो अपना भी यह दौर सही... 'या 'तू नहीं और सही और नहीं और सही' का नजरिया इसमें भरता जा रहा है।

जेंडर अध्ययन में प्रेम एक खास तरह की समस्या को लेकर आता है। परंपरागत सोच स्त्री से यह मांग करता है कि स्त्री प्रेम में डूब कर अपना सब कुछ न्योछावर दे। जबिक आधुनिक स्त्री को अब एक खास तरह का नारा दिया जा रहा है- 'मैं अपनी फेवरेट हूं'। जहां कांट प्रेम को नैतिकता में बांध कर उसे परोपकार और एक-दूसरे के प्रति सरोकार में बांधते हैं। वहीं इरिगरे प्रेम में स्व प्रेम को आवश्यक मानती हैं। उनके अनुसार-'प्रेम कोई ऐसी शै नहीं जिसके चक्कर में पड़ कर व्यक्ति बुद्धि और जीवट के रास्ते से हटते हुए एक तरह की बेलौस समझ का शिकार होता चला जाए। बल्कि प्रेम तो एक ऐसा संकल्प है, जिसके तहत व्यक्ति किसी दूसरे के साथ सहअस्तित्व में रहने के जीवंत अनुभव से गुजरता है और उस रिश्ते को सफल करने के लिए आदर तार्किकता और विचार का सहारा लेता है।'

प्रेम सही मायनों में तभी प्रेम है, जब दोनों पक्ष अपना–अपना व्यक्तित्व रखते हुए एक–दूसरे का सम्मान करें। प्रेम के इसी लोकतंत्र का उदाहरण केदारनाथ अग्रवाल की कविता है जो उन्होंने पत्नी के प्रति प्रेम निवेदित करते हुए कही है- 'हे मेरी तुम/ यह जो लाल गुलाब खिला है/ खिला करेगा/ यह जो रूप अपार हंसा हैं/ हंसा करेगा/ यह जो प्रेम पराग उडा है/ उडा करेगा/ धरती का उर रूप-प्रेम-मधु पिया करेगा।

अमन का रास्ता

ालवामा के आतंकी हमले ने देशवासियों को उझकझोर कर रख दिया लेकिन उसके बाद कुछ जगहों पर कश्मीरी छात्रों के साथ जो हुआ वह किसी भी सभ्य समाज के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। दरअसल, आज कई आंतरिक और बाहरी ताकतें कश्मीर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। इस मसले को हमारे देश की संप्रभुता के चश्मे से देखा जाना चाहिए, न कि सांप्रदायिक अथवा मजहबी चश्मे से। इस समस्या को किसी एक पहलू से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता और न किसी एक पर इसका दोषारोपण होना चाहिए जैसा कि कुछ लोग इसे पूर्णतः केंद्र की नीतियों की विफलता की देन मानते हैं।

जम्मू-कश्मीर को दी गई राजनीतिक स्वायत्तता ने कश्मीर के कुछ बड़े जन-नेताओं के निधन के बाद एक शून्य पैदा कर दिया और इस शून्य को अलगाववादी नेताओं द्वारा भरा गया। इसके अलावा, 1990 के दशक में केंद्रीय राजनीतिक अस्थिरता ने भी आग में घी का काम किया। हालांकि कश्मीरी अवाम और वहां के नागरिक-समाज को भी इस समस्या के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाना चाहिए क्योंकि एक सभ्य समाज यह खुद निर्धारित करता है कि उसे अपने चारों तरफ कैसा वातावरण चाहिए। अफसोस की बात है कि आज कश्मीरियों की समस्याओं को इस्लामी कट्टरवाद द्वारा हथियाया जा रहा है। पहले युवा कश्मीरियों में यह जहर भरा जाता था कि भारत ने कश्मीर को असंवैधानिक तरीके से अपने में शामिल किया है और अब इस सोच से संक्रमित जा रहा है कि कश्मीरियों पर राज्य द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। इससे वहां के युवाओं में रोष पैदा हुआ, जो स्वाभाविक है। हालांकि यह भी सच है कि सैन्य उपस्थिति वाला क्षेत्र कुछ मौलिक अधिकारों

से समझौता करने के लिए बाध्य होता ही है।

हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कश्मीरियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की, चाहे वह नौकरशाही हो, सेना हो, खेल हो या बॉलीवुड। ऐसा इसलिए है कि भारत के संविधान में हर नागरिक को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अलगाववादियों के बजाय इन्हीं लोगों को कश्मीर का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। अलगाववादी कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन से पूर्ण सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वे युवाओं को आजादी के आंदोलन के नाम पर गुमराह कर रहे हैं जबिक खुद अच्छी तरह जानते हैं कि यह कथित आजादी हासिल होने वाली नहीं है।

कश्मीर और कश्मीरी, दोनों भारत का अभिन्न किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है :

chaupal.jansatta@expressindia.com हिस्सा हैं और रहेंगे। जो लोग हिंसा से जरिए कश्मीर को

भारत से अलग करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अपना यह ख्वाब छोड़ देना चाहिए। उन्हें अमन का रास्ता अपना कर कश्मीर और भारत के विकास के लिए मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। यही रास्ता कश्मीर को समृद्धि और विकास की मंजिलों तक ले जाएगा। गौरव चंद्रा, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली

इंसानियत के दोषी

पुलवामां हमले के बाद पूरे देश में जबर्दस्त रोष का माहौल है। लेकिन इस हमले के बाद देश के कुछ राज्यों से कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट के मामले सामने आना बहुत ही चिंताजनक है। खबरों की मानें तो देहरादुन से डर कर भागे करीब 700 कश्मीरी छात्र पंजाब के मोहाली में आसरा लेने आए। इस

दौरान उनके प्रति मोहाली के गुरद्वारे और सिख समुदाय के लोगों का रवैया काबिलेतारीफ रहा। रोशल मीडिया में पुलवामा हमले का जश्न मनाने

वाला न सिर्फ देश, बल्कि इंसानियत का भी गुनहगार है। ऐसे लोग चाहे कश्मीर से हों या कहीं और से, सजा के हकदार हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से सभी कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट करने वाले लोग खुद देश के खिलाफ हैं। अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा सलूक करना समझदारी नहीं है। अगर सच में कोई आपके

आसपास देश के खिलाफ बोल रहा है या काम कर रहा है तो

उसके लिए कानून है। कानून को हाथ में लेना भी एक अपराध है। जब कश्मीर भारत अभिन्न अंग है तो भला कश्मीरी किसके हैं ? फूट डालना ही दुश्मन का मकसद है। एकता बनाकर हम दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं।

क्या उम्मीद

• नेहा अधिकारी, चंडीगढ़

पाकिस्तान ने भारत से पुलवामा में आतंकवादी हमले का सबुत मांग कर बेशर्मी की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। जब पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद स्वयं पुलवामा कांड की जिम्मेदारी ले रहा है और यह संगठन पाकिस्तान की धरती से ही संचालित हो रहा है तो पाकिस्तान भारत से किस बात के सबूत मांग रहा है? अगर पाकिस्तान में

आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की इच्छा है तो क्यों नहीं जैश ए मोहम्मद के सरगना को दबोचता?

पाकिस्तान की भारत के विरुद्ध हुई किसी भी आतंकवादी घटना के सबूत मांगने की रट नई नहीं है। मुंबई के ताज होटल पर हमला, भारतीय संसद पर हमला, पठान कोट और उड़ी हमले के बाद भारत द्वारा किए विरोध के जवाब में पाकिस्तान ने ऐसे ही सबत मांगे थे। भारत ने सबत उपलब्ध भी कराए, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं की। तो अब पाकिस्तान से क्या उम्मीद की जा सकती है! पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों के लिए जन्नत से कम नहीं लिहाजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की आवश्यकता है।

• सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली कैसर के खिलाफ

कैंसर का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। एक शोध के मुताबिक दुनिया में लगभग 96 लाख लोगों की हर साल कैंसर के चलते मौत होती है। शुरू में अनेक तरह के कैंसर के लक्षण नहीं दिखाई देते लेकिन कुछ प्रकार के कैंसर के संकेत पहले ही मिल जाते हैं। इसलिए हमें कैंसर के लक्षणों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। अगर इसका थोड़ा भी संकेत मिले तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दुनिया में अविकसित गरीब देशों में कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि 90 फीसद निम्न और मध्य आय वाले देशों में रेडियोथेरेपी सुलभ नहीं है। सबसे दुखद बात यह कि कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण पर खर्च होने वाले वैश्विक संसाधनों में विकसित देशों की भागीदारी महज पांच प्रतिशत है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर हमें भी स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सजग रहना चाहिए।

रिव रंजन कुमार, लखीसराय, बिहार